बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

सोमवार, तिथि २३ अप्रैल, १९५१ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्यविवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-संदन में सोमवार, तिथि २३ अप्रैल, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

सहरसा जिले में चेचक।

७०। श्री अर्जुन प्रसाद सिंह: क्या माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के कुछ हिस्सों में और खास कर सहरसा जिले के सोनवरसा थाने के कुछ गावों में चेचक महामारी (Epidemics) के रूप में फैल गया है;

(ख) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त थाने की एक वस्ती लगमा में लगभग पांच सौ व्यक्तियों की मृत्यु चेचक से हो गई है;

(ग) क्या यह बात सही है कि वहां vaccination (पाछ) देने की दवाई नहीं है और रोग रोकने का कुछ इन्तजाम नहीं है;

(घ) क्या सरकार लोगों को चेचक से बचाने के लिये कुछ उचित इन्तजाम करना चाहती है ?

श्री सुखलाल सिंह: (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) यह बात असत्य है। महामारी की कोई सूचना स्थानीय अधिकारियों को नहीं दी गयी है। Health Inspector ने अपने स्वाभाविक दौरान में तीन चीकेन पोक्स से पीड़ित व्यक्तियों को देखा। फिर भी इसके बारे में जांच जारी है।

(ग) उत्तर नकारात्मक है।

(घ) चेचक से लोगों को बचाने के लिये सरकार ने हर जगह पर समुचित प्रबन्ध किया है। पाछ पूरे तौर पर देने का प्रबन्ध किया गया है। दवा और vaccinators का हर जगह पर प्रबन्ध किया गया है। सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दिया है कि वे पूरी तादाद में दवा मंगा लें और अस्पतालों के refrigerators में रखें और आवश्यकतानुसार वितरण करें। उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि हर vaccinator को ग्राम में बांट दिया जाय और वे उन गांवों के वास्ते जिम्मेवार बना दिये जायें। जिस गांव में कोई आदमी जानबूझ कर पाछ लेना अस्वीकार करे तो उसके ऊपर मुकदमा भी लाने का आदेश दिया गया है। अगर vaccinator के कसूर से किसी आदमी को पाछ नहीं पड़ा और उस आदमी को चेचक हो जाय तो vaccinator के ऊपर उचित

NOTE :—Short notice questions 78 and 79 postponed.

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

(क) (ख) और (ग) इन आंकड़ों के संग्रह करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त नतीजे के संतुलन में कहीं महंगा पड़ेगा।

शाहाबाद जिलांतर्गत भभुआ सबडिवीजन के एक ही परिवार के सदस्यों को बन्दूक-अनुज्ञप्ति का दिया जाना।

७४। श्री गुप्तनाथ सिंह : क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि भभुआ सबडिवीजन में ऐसे भी cases (मामले) हैं जिनमें एक से अधिक बन्दूक-लाइसेंस एक ही परिवार के लोगों के पास हैं;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' है तो ऐसे कितने परिवार हैं और उनके नाम और पता क्या हैं?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह :

(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) भभुआ सबडिवीजन में कुल ऐसे नौ परिवार हैं जिनमें एक ही परिवार के सदस्यों को एक से अधिक लाइसेंस दी गई हैं। प्रश्न के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में एक विवरण मेज पर रखा है।

एक ही परिवार में एक से अधिक अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्तियों के नाम का विवरण।

१। बा० लालजी सिंह, ग्राम रामगढ़ २। बा० राम लगन सिंह, ग्राम रामगढ़ ३। बा० हीरा सिंह, बाजदिहवा	एक परिवार
४। बा० रामग्रह पांडे, ग्राम रतवार ५। बा० शिव प्रसाद पांडे, ग्राम रतवार	"
६। बा० पशुनाथ सिंह, मुखतार ७। बा० भगवती सिंह, ग्राम मोकरी	"
८। बा० वाई० पी० साही, ग्राम जैतपुर ९। कुमार राम प्रसन्न मंजरी साही चैनपुर थाना।	"
१०। एम० शेख अब्दुल रहमान, ग्राम सिरसी ११। मु० फजललुर रहमान, ग्राम सिरसी १२। शेख अजीजुर रहमान, ग्राम सिरसी	"
१३। बा० कुलदीप सहाय, ग्राम लोदीपुर १४। बा० द्वारकानाथ वर्मा चान्द थाना।	"
१५। बा० फतेह नारायण सिंह, ग्राम ऐलाली १६। बा० केशव प्रसाद सिंह, ग्राम ऐलाली	"

१७। बा० शिवदेनी सिंह, ग्राम पहरद्दचा } एक परिवार
१८। बा० रामेश्वर सिंह, ग्राम पहरद्दचा }
कुदरा थाना।
१९। बा० गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम जहानाबाद } "
२०। बा० सीताराम सिंह, ग्राम जहानाबाद }

७५। श्री यमुना राम: क्या माननीय मंत्री, स्थानीय स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) प्रान्त के स्वायत्त संस्थाओं में कितने डोम, मेहतर और मेहतरानी इन दिनों काम करते हैं;

(ख) इनका क्या वेतन का स्केल है तथा छुट्टी आदि की क्या सुविधा है;

(ग) इनके आवरू के लिए अब तक कहां और क्या प्रबन्ध किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि १९५०–५१ के बजट में इनके आवरू के लिए तीन लाख रुपये स्वीकृत किए गए, यदि 'हां' तो स्वीकृत रुपए में अब तक कितने मकान तैयार हुए हैं?

माननीय पं० बिनोदानन्द झा:

(क), (ख) और (ग) स्थानाय अधिकारियों से आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है। सामग्री प्राप्त हो जाने पर मेज पर रख दिया जायगा।

(घ) कल्याण विभाग द्वारा बजट में स्वीकृत तीन लाख और साठ हजार रुपया राज्य के कतिपय नगरपालिकाओं में वितरित कर दिया गया है जिसका विवरण मेज पर प्रस्तुत है।

राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं को हरिजन कर्मचारियों के आवरू निर्माण हेतु दिये गये अनुदान का विवरण।

नगरपालिका का नाम।	अनुदान की राशि। रु०
(१) पटना सिटी	१,२०,०००
(२) मुजफ्फरपुर	३०,०००
(३) दरभंगा	३०,०००
(४) भागलपुर	३०,०००
(५) रांची	३०,०००
(६) हजारीबाग	३०,०००
(७) गया	३०,०००
(८) आरा	३०,०००
(९) कटिहार	१५,०००
(१०) दुमका	१५,०००
	३,६०,०००